


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ १(१६) / ग्रावि / वाकायो ११-१२ / २०१०

जयपुर, दिनांक: ७/१०/१०

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना  
एवं श्रम बजट २०११-१२ के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक १०.०९.२०१० / १३.०९.२०१० एवं २४.०९.१०

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र दिनांक १०.०९.२०१० / १३.०९.२०१० के द्वारा  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना २०११-१२ तैयार किये  
जाने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना तैयार किये  
जाने हेतु आप द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में निम्न प्रकृति के कार्य ग्राम सभा में चर्चा उपरान्त प्राथमिकता से वार्षिक कार्य  
योजना में सम्मिलित किये जाने चाहिए :-

1. व्यक्तिगत लाभ के कार्य
2. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन दी हुई जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत व रख-रखाव के  
कार्य
3. हरित राजस्थान कार्यक्रम योजना अन्तर्गत बॉक्स ट्रैंच पद्धति, रिंगपिट मैथड से वृक्षारोपण एवं  
ईको-फोरेस्ट्री जैसे कार्य
4. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के शेष निर्माण कार्य
5. पूर्व से निर्मित नाड़ी, तालाब को गहरा कराने के स्थान पर जहां भी वर्षा जल किसी पूर्व से  
निर्मित तालाब, एनिकट एवं बांध के जलग्रहण क्षेत्र में नहीं जाता है, वहां वर्षा जल के संरक्षण  
हेतु चैक डैम/ एनिकट/ वाटर हार्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाये, विशेषकर कोटा व  
उदयपुर में एनीकट निर्माण से पूर्व नियमानुसार जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया  
जाये।
6. कृषि विभाग/ बागवानी विभाग से कन्वर्जेन्स करते हुए फार्म पोण्ड व डिग्री निर्माण के कार्य
7. जहां आवश्यक हो वहां नहरों/ तालाबों से गाद (Desilting) निकालने का कार्य

कृपया प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ग्राम सभा का आयोजन करते हुए  
पंचायत समितियों से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार ३१ दिसम्बर तक  
जिला परिषद से अनुमोदित कराते हुए, अनुमोदित श्रम बजट को राज्य सरकार को प्रेषित करें ताकि  
तदनुसार ३१ जनवरी, २०११ से पूर्व केन्द्र सरकार को श्रम बजट प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,  
१३/१०  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस,  
समस्त राजस्थान।

७/१०/१०

परि.निवे.एवं उप सचिव, ईजीएस